[illegible]

[illegible] पेश हो

[illegible] वादी उपस्थित पुन बहस वकील [illegible] ~~अनुपस्थित~~ सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली 25-1-18 को पेश हो

25-1-18 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है।~~ अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-2-18 को पेश हों

7-2-2018 पत्रावली पेश हुई वकील वादीनी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादीनी का वाद खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

पीठासीन अधिकारी- गरिमा लाटा
R.A.S.

वाद सं. 86/दावा/15
दायरा दिनांक - 2.11.15

उनवान

1. श्रीमति दाखा बई आयु 48 वर्ष पत्नि प्रेम शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम भीण्डी तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज.)

- वादिनी

बनाम

1. रामनारायण आयु 70 वर्ष आ० श्री धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम गुहाथ तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी
2. हजारीलाल आयु 63 वर्ष आ० श्री धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ, जिला बून्दी (राज.)

- प्रतिवादीगण

वाद वास्ते खातेदारी अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 7.02.18

वादिनी द्वारा वाद जरिये अधिवक्ता पेश कर। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है- ग्राम भौताड़ा खाता सं. 95 खसरा सं. 137 रकबा 0.25 है. खसरा सं. 154 रकबा 2.85 है कुल किता 2 कुल रकबा 3.10 है. आराजी धन्ना आ० गोपीराम हिस्सा 1/3 व वादिनी दाखा बाई का 2/3 हिस्सा अंकित है। धन्ना आ० गोपीराम की मृत्यु 12.12.1986 को हो गयी। खातेदार धन्ना के 3 पुत्र क्रमशः प्रतिवादी 1 व 2 एवं नन्द किशोर हुए जिनमें से नन्द किशोर की भी मृत्यु हो चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः....

धन्ना के देहान्त के पश्चात धन्ना के लड़के अपने हिस्से बेचने के लिए प्रयत्नशील हुए थे। रामनारायण व हजारी ने उक्त वर्णित आराजी में से 2/9 हिस्से का बेचान जाना दिनांक 30.08.2007 को निष्पादित कर पंजीयन करवाया है। धन्ना के लड़के नन्द किशोर ने दिनांक 29.08.2007 को अपना हिस्सा 1/9 का बेचाननामा निष्पादित कर वादिनी के हक में पंजीयन करवाया है। वर्तमान में सम्पूर्ण रकबे पर वादिनी काबिज है। वर्तमान जमाबंदी में मृतक धन्ना का नाम खातेदार के रूप में अंकित है। वाद वर्णित आराजी की वादिनी सम्पूर्ण रूप से खातेदार है तथा उसी रूप में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित करवाने की अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना कि कि वाद वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में धन्ना का नाम विलोपित करते हुए वादिनी का नाम 1/3 हिस्से के रूप में धन्ना के स्थान पर अंकित किया जाए।

वाद दर्ज रेजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। नियत पेशी पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जवाबदावा नही पेश करना चाहा गया अत: जवाबदावा बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने वादपत्त के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 खाता सं. 111 प्रदर्श सं. 1 विक्रय पत्र दिनांक 29.08.17 प्रदर्श-2, विक्रय पत्र दिनांक 30.8.17 प्रदर्श सं. 3, जोड़ो प्रति मृत्युप्रमाण पत्र धन्नालाल पेश किये गये। मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादिनी का शपथ पत्र पेश है। नियत पेशी पर अधिवक्ता वादी को एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्त के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादिनी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से धन्ना के हिस्से की संपूर्ण आराजी जर्ये विक्रय पत्र खरीद करने के बाद अब वाद विषयक आराजी पर धन्ना का कोई हक नही है। धन्ना की मृत्यु हो चुकी है। अत, प्रार्थिया वादिनी को पंजीकृत बेचाननामो के आधार पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। अत, वाद स्वीकार फरमाया जावे। दावे के खण्डन में कोई जवाबदावा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमश....

या साक्ष्य पेश नही किया गया। अब उक्त खाते में वादिनी ही खातेदार है। वादिनी के बयान दिनांक 6.09.17 को कराये जा चुके है। अतः दावा स्वीकार करमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार है– प्रदर्श सं. 1 जमाबंदी ग्राम नोताड़ा पटवार हल्का नोताड़ा सम्वत् 2070-2073 धन्ना वल्द गोपीराम है 1/3 तथा पारवा बाई पत्नि प्रेमशंकर हिस्सा 2/3 दर्ज है। धन्ना वल्द गोपीराम की मृत्यु का तथ्य वाद मे लिया गया है कि धन्ना की मृत्यु दिनांक 12.12.1986 को हो गयी। प्रदर्श सं. 2 व 3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन से यह तथ्य आया कि नामा० सं. 286 दिनांक 21.08.07 द्वारा मृतक धन्ना के स्थान पर उसके वारिसान रामनाथ हजारीलाल जन्द किशोर पि० धन्नालाल कौम मीणा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई का तथ्य लिया गया है। उक्त नामा. सं. 286 को दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा पेश नही किया गया है। जबकि प्रदर्श सं. 1 जमाबंदी संवत् 2070-2073 में उक्त नामान्तरण का अमल नही हुआ है। इस बिन्दु पर वादी द्वारा कोई स्पष्ट तथ्य न तो वादपत्र में दिया गया ना ही दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा कोई तर्क किया गया। धन्नालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र कि प्रतिलिपि मे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख दिनांक 14.08.2010 है। जबकि नामा. सं. 286 दिनांक 21.08.07 को ही स्वीकृत किया जाना उल्लेखित किया गया है। अतः वादी यह भी सिद्ध करने में असफल रहे है कि मृतक धन्ना के वारिसान केवल प्रतिवादीगण 1व2 ही है। इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया। वाद की चरण सं. 3 में यह तथ्य अंकित है कि धन्ना के देहान्त के बाद धन्ना के लड़के अपना हिस्सा बेचने के लिए प्रयत्नशील हुए थे क्या धन्ना के उक्त लड़को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अलावा अन्य कोई वारिसान है या नही, धन्नालाल का फौती इंतकाल आज दिनांक तक क्यूं नही खोला गया। साथ ही जिस नामा. सं. 289 का उल्लेख विक्रय पत्रों में

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (बून्दी)

क्रमशः.....

किया गया उसको पेश नहीं किया गया। वादिनी द्वारा बैचान नामे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी। लेकिन बैचान -नामा के विक्रेता प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में ही दर्ज नहीं पाया गया। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विचार है कि वादिनी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वाद खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7.02.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खानपुर

व इजलास सुश्री गरिमा लाय (आर.ए.एस.)

1 श्रीमती चन्दाबाई पत्नी प्रेमशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम ओडी तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी (वादिनी) बनाम 1 रामनारायण आत्मज धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम गुढ़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह अन्य PTO प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88, 89 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 86/दावा/15 सन

यह मुकदमा आज़ वास्ते इनफिसाल क़तई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री राजेन्द्र कुमार जैन मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादिनी का वाद खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7-2-2018 माह सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर

उपखण्ड अधिकारी खानपुर (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. हजारीलाल आत्मज धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम गुढ़ा
तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी ।

— प्रतिवादीगण —

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)